

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 4(1)(1) नपा/रानिआ/2020/8348

दिनांक: 11-10-2020

जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(नगरपालिका) (कलक्टर),  
जयपुर, जोधपुर एवं कोटा।

**विषय:-** नगरनिगम आम चुनाव माह अक्टूबर-नवम्बर, 2020 - आदर्श आचरण संहिता - नगरनिगमों में पोस्टर, बैनर, कट-आउट एवं होर्डिंग्स आदि हटाने के संबंध में।

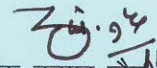
महोदय,

राज्य के 06 नगर निगमों में आम चुनाव माह अक्टूबर-नवम्बर, 2020 में कराने हेतु आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निगमों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 4237 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा पोस्टर, बैनर, कट-आउट एवं होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के बिन्दु संख्या 6(iii) के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर, कट-आउट एवं होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन पर राजस्थान संपत्ति विरूपण रोकथाम के प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जानी है। अतः इस संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि आयोग के उक्त आदेश दिनांक 21.10.2019 में स्वीकृत परिधी से बाहर अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शित किए गए पोस्टर, बैनर, कट-आउट एवं होर्डिंग्स आदि को तुरन्त प्रभाव से हटाने की कार्यवाही कर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा - 23 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राजकीय विभागों द्वारा भी राज्य सरकार की उपलब्धि दर्शित करते हुए पोस्टर, बैनर, कट-आउट एवं होर्डिंग्स आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों एवं आचार संहिता की प्रभावी पालना हेतु इस संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि आदर्श आचरण संहिता से प्रभावित नगर निगमों में राज्य सरकार की उपलब्धि दर्शित करते हुए पोस्टर, बैनर, कट-आउट एवं होर्डिंग्स आदि को हटवाने की कार्यवाही की जाए।

आज्ञा से,

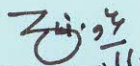
  
(अशोक कुमार जैन) 11.10.2020  
उप सचिव

दिनांक: 11-10-2020

क्रमांक: एफ. 4(1)(1) नपा/रानिआ/2020/8349-50

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, संबंधित नगर निगम मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

  
(अशोक कुमार जैन) 11.10.2020  
उप सचिव